

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6) 2008/अलेसे-111/

दिनांक :- 12-09-2012

आदेश संख्या 181/ 2012-13

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों, जो वर्तमान में उनके नाम के आगे अंकित विभाग/कार्यालय में अस्थाई कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं और जिन्होंने अभी कनिष्ठ लेखाकार का आधार भूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को आदेश दिये जाते हैं कि वे संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा पर दिनांक 24.09.2012 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। प्रशिक्षण अवधि 13 सप्ताह की होगी तथा इस अवधि में उनके वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा।

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	27	सुरेन्द्र कुमार जैन	जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
2.	45	देवीसहाय भीणा	जिला परिषद (नरेगा), बांरा
3.	50	चेतराम मेधवाल	जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़
4.	52	नीरज कुमार परेवा	कोषालय, प्रतापगढ़
5.	53	जुगल किशोर	जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), बांसवाडा
6.	54	पदमपति रमन	उपकोषालय, गंगरार(चित्तौड़गढ़)
7.	55	सुखदेव वर्मा	कोषालय, बांसवाडा
8.	56	वृजभूषण सिंह	जिला परिषद (नरेगा), चित्तौड़गढ़
9.	58	धर्मेन्द्र कटारिया	कोषालय, बांसवाडा
10.	59	राजाराम भीना	जिला एवं सत्र न्यायालय, झालावाड
11.	61	हरिमोहन भीना	अनुसूचित जाति/जनजाति विकास सहकारी निगम, झालावाड
12.	67	विश्वेन्द्र सिंह	कोषालय, झालावाड
13.	68	पवन कुमार पालीवाल	कोषालय, प्रतापगढ़
14.	69	बबलू ठेनुआ	जिला परिषद (नरेगा), झालावाड
15.	70	लक्ष्मीकान्त भीणा	उपकोषालय, गंगधार (झालावाड)
16.	74	रामचरण भीना	जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), झालावाड
17.	78	सुनीत कुमार भीना	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, झालावाड
18.	81	महेन्द्र कुमार भीणा	कोषालय, बांसवाडा
19.	82	वीरेन्द्र कुमार	जिला आयुर्वेद अधिकारी, झालावाड
20.	86	दामोदर प्रसाद नारोलिया	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बांसवाडा
21.	91	अवधेश कुमार भीणा	सहायक निदेशक, उद्यान, बांरा
22.	93	सुमित कुमार भीणा	जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), बांरा
23.	94	गोपाल प्रसाद	उपकोषालय, सपेउ (धौलपुर)
24.	95	श्रीमती ममता मल्कानी	कोषालय, उदयपुर
25.	98	नवीन कुमार पहाडिया	पुलिस अधीक्षक, धौलपुर
26.	104	पुजारी ठाकुर सिंह	कोषालय, धौलपुर
27.	107	मस्त राम भीना	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवानीमण्डी(झालावाड)
28.	114	अशोक ओझा	कोषालय, चित्तौड़गढ़
29.	116	दिनेश कुमार शर्मा	कोषालय, प्रतापगढ़
30.	124	राजेन्द्र कुमार नाई	उपकोषालय, कपासन (चित्तौड़गढ़)
31.	125	श्रीमती सुनीता भीणा	कोषालय, उदयपुर
32.	126	वृजेश कुमार भीना उर्फ अमर जोरवाल	उपकोषालय, छबडा (बांरा)

33.	127	महेन्द्र सिंह मीणा	रैफरल हास्पिटल, छबडा (बारा)
34.	131	सुरेश चन्द मीना	उपकोषालय, झालरापाटन (झालावाड)
35.	136	हरिमोहन मीणा	उपकोषालय, छीपाबडाद (बारा)
36.	144	रामदयाल	जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.), राजसमन्द
37.	151	सत्य प्रकाश मीना	उपकोषालय, मांगरोल(बारा)
38.	153	धर्मन्द्र सिंह	जिला एवं सत्र न्यायालय, धौलपुर

उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकारों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32 [2] के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें किसी कनिष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन एवं भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही वे निर्धारित प्रपत्र में बाण्ड भरकर पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे। उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षणार्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार दर्शाये गये कॉलम संख्या 4 में अंकित पूर्व पदस्थापित विभाग में उपस्थिति देंगे।


निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6) 2008/अलेसे-111/5249-5329

दिनांक :- 12-09-2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, H0च0मा0राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, (योजना) H0च0मा0स0 राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा को आदेश की अतिरिक्त प्रति एवं बाण्ड फार्म प्रेषित कर निवेदन है कि बाण्ड फार्म कनिष्ठ लेखाकारों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर सूचित करेंगे।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करते समय इनका सेवाभिलेख एवं एल0पी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं प्रशिक्षण समाप्ति पर कॉलम संख्या 3 में अंकित संबंधित कनिष्ठ लेखाकार को आपके विभाग में कार्यग्रहण करवाकर इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

5. श्रीकनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....

6. निजी सहायक, निदेशक महोदय।

7. ☒ कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।

8. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II)